आकाशवाणी श्री विजयपुरम

16.10.2025 समय : 1905

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के कुरनूल में लगभग तेरह हजार चार सौ तीस करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को एक नया आदेश जारी किया है।

- टैगोर कॉलेज में पाँच दिवसीय वार्षिक सामुदायिक जीवन शिविर के तहत आज "आपदा प्रबंधन और साइबर प्रिवेंशन" विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- खेल एवं युवा मामले विभाग, पुरूश एवं महिला युगल ओपन बैडमिन्टन टूर्नामेन्ट का आयोजन करेगा।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के कुरनूल में लगभग तेरह हजार चार सौ तीस करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजनाएँ उद्योग, बिजली पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दोहरे इंजन वाली सरकार के बल पर राज्य अभूतपूर्व विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि दो हजार सैंतालीस तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे करेगा, तब तक वह वास्तव में एक विकसित भारत होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी उपस्थित थे। श्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदे□ा विज्ञान और नवाचार का केन्द्र है।

<><><><><><><>

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देशभर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब किसी भी खाद्य उत्पाद के नाम या ब्रांड में 'ओआरएस' शब्द का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश फलों पर आधारित, नॉन–कार्बोनेटेड या रेडी–टू–ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी लागू होगा। एफ एस एस ए आई ने अपने आदेश में कहा है कि यह निर्णय पहले जारी किए गए दो पुराने आदेशों 14 जुलाई 2022 और 2 फरवरी 2024 को निरस्त करता है। यानी अब वे दोनों आदेश अमान्य माने जाएंगे। पहले के आदेशों में कुछ कंपनियों को अपने उत्पादों के ब्रांड नाम में 'ओ आर एस' शब्द इस्तेमाल करने की छूट दी गई थी, बशर्ते वे यह चेतावनी लिखें कि उनका उत्पाद डब्ल्यू एच ओ द्वारा अनुशंसित ओ आर एस फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अब एफ एस एस ए आई ने कहा है कि किसी भी खाद्य उत्पाद के नाम, ब्रांड या लेबल पर 'ओ आर एस' शब्द का उपयोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है। इन प्रावधानों के उल्लंघन पर उत्पाद को "मिसब्रांडेड" और "मिसलीडिंग" माना जाएगा, जिसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा बावन और तिरपन के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। एफ एस एस ए आई ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों से कहा है कि इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को झूठे दावों और भ्रामक विज्ञापनों से बचाया जा सके।

<><><><><><><>

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने रेलवे क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए कई पहलें की हैं जिनमें यात्रियों की सुविधाओं को बढाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री वैष्णव ने आज जयपुर के खातिपुरा रेलवे स्टेशन पर विभिन्न यात्री सुविधाओं का उदघाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कंबल कवर की शुरूआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि यह रेलवे की एक नई पहल है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के बीच कंबलों की स्वच्छता को लेकर संदेह रहता था जिसे दूर करने के लिए रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कंबल कवर की सुविधा शुरू की। श्री वैष्णव ने कहा कि यह प्रयोग सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।

<><><><><><><>

टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में चल रहे पाँच दिवसीय वार्षिक सामुदायिक जीवन शिविर के तीसरे दिन, आज "आपदा प्रबंधन और साइबर प्रिवेंशन" विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल तथा साइबर सेल, पुलिस विभाग के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षु शिक्षकों को आपदा के समय आवश्यक सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। एन डी आर एफ की टीम ने फायर कंट्रोल और सी पी आर जैसी तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया। विशेषज्ञों ने बचाव कार्यों के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी प्रकाश डाला। साइबर सेल अधिकारियों ने साइबर सुरक्षा एवं जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार पर जागरूकता सत्र का भी आयोजन किया। इन सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षु शिक्षकों को आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। यह उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ है। इस कड़ी में आज एक नज़र मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव की।

<><><><><><><>

खेल एवं युवा मामले विभाग कल और अटठारह अक्टूबर को नेताजी स्टेडियम में पुरूश एवं महिला युगल ओपन बैडमिन्टन टूर्नामेन्ट का आयोजन करेगा। कल भाम साढ़े चार बजे टूर्नामेन्ट का उद्घाटन होगा।

<><><><><><><>

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कल गर्ल्स स्कूल के सभागार में क्षेत्रीय स्तर पर बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025–26 का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम दक्षिण अंडमान उप शिक्षा अधिकारी ज्ञान शील दुबे, और उप निदेशक शिक्षा राम प्रवेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ। छात्रों द्वारा कुल इकसठ प्रदर्शनियाँ प्रदर्शित की गईं, जिनमें बतीस कार्यशील मॉडल और उनतीस स्थिर मॉडल शामिल थे, जिनका निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, व्यावहारिक अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया गया। विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

<><><><><><><>

ब्रिचगंज स्थित चिन्थे लॉन्ग रेंज में कल सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर एक बजे तक छोटे हथियारों से फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों, वाहनों और पशुओं को क्षेत्र में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है।

<><><><><><><>